संख्या-375/XVII-2/2011-11(02)/2007

प्रेषक,

एम0 एच0 खान,
सचिव एवं आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 02 मई, 2011

विषयः-राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह चमोली के भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-190/XVII-2/2008-11(02)/2007 देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह चमोली के भवन निर्माण हेतु रु0 93.61 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रु0 47.41 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रु0 46.20 लाख (रू0 छियालीस लाख बीस हजार मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, यूनिट 11 निर्माण विंग उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर चमोली को यथाशीघ्र समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

7. जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

8.. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे कार्यदायी संस्था अपनी निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

11. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी। योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मासिक विवरण के साथ बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनायें नियमिति रूप से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक कीं अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02–समाज कल्याण 104–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 04–वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह के मानक मद 24–बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या : 375/XVII–2/2011–11(02)/2007 तददिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
6. कोषाधिकारी, हल्द्वानी/चमोली।
7. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट 11 निर्माण विंग उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर चमोली
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी.आर.टम्टा)
अपर सचिव